

30-08-2014

आरोपी सुमेरसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री राजा चौधरी ने अर्थदण्ड राशि 500 /— रसीद बुक क्रमांक 682 / 100 / 30.08.2014 से अदा की गयी।

प्रकरण में आरोपी के रिहायी बाबद् ज्ञापन जारी किया जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाकर नस्ती को विधिवत् अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)